

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 69/2014

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री भीमसिंह जाति जाट निवासी झांसल हाल आबाद एल बी एस स्कूल के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांत

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा।
3. शांति पुत्री कुरडाराम जाति ब्राहमण निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोजेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा दिनांक 4.4.2013 जिसकी रूह से अपीलान्ट को बिना ही किसी प्रकार का नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर उसकी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि को गलत व गैर कानूनी तौर से धारा 90क(8) के तहत रेस्पोजेन्ट संख्या 2 द्वारा स्वप्रेरणा से खातेदारी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि मे कन्वर्ट किये जाने का आदेश पारित किया गया बमुराद मनसुखिया आदेश किये जावे व अपील स्वीकार।

उपरिस्थितः— श्री खेताराम, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांकः— 28.02.2020

अपीलाण्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

(क) भूमि जेर बहस अपील चक 8 बारानी भादरा के जिसके वर्तमान जमाबन्दी सम्बत 2069 से 72 के वर्तमान खाता संख्या 108/110 मु0न0 104 के किला न0 6,7 प्रत्येक 0.253 हैक्टर बारानी प्रथम कुल किता 2 की 0.506 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि पवन

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
नोहर (हनुमानगढ़)

कुमार पुत्र कुरडाराम 0.038 हैक्टर, शांति पुत्री कुरडाराम 0.101 हैक्टर हिस्सा, ताराचंद, शंकरलाल, महेन्द्र, छोटुराम, चन्दकौर व पावती पिसरान मदनलाल, शांति बेवा मदनलाल ब0हि0ब0 0.038 हैक्टर कौम ब्राहमण व मोहरसिंह वल्द जीराम हिस्सा 0.228 हैक्टर कौम जाट साकिन भादरा व जगदीश प्रसाद वल्द हरीसिंह कौम नाई हिस्सा 0.101 हैक्टर साकिन चिड़ियागांधी के नाम से बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 के विशेष कॉलम में " हुकमन आदेश इन्तकाल नं. 1234 दिनांक 19.08.2013 नगरपालिका भादरा मु0न0 104 के किला न0 6-7 = 0.506 हैक्टर गै0मु0 दर्ज है जिसमें अपीलान्ट द्वारा जरिऐ रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.05.2010 व 17.05.2010 को चक 8 बाराणी कस्बा भादरा के मु0न0 104 के किला न. 6-7 में रेस्पोजेन्ट संख्या 3 शांति से उसके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि 0.101 हैक्टर खरीद की गई थी व शांति का संयुक्त खाते में 1/5 हिस्सा था उपरोक्त भूमि का असल खातेदार काश्तकार रेस्पोजेन्ट सं. 3 शांति का पिता कुरडाराम था उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरकण कुरडाराम मृतक के पांच वारिसान उसकी बेवा लड़कियों के नाम प्रत्येक का 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 में नामान्तरकरण दर्ज होकर स्वीकृत हो गया उसके पश्चात उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि मु0न0 104 के किला न. 6 व 7 में 0.228 हैक्टर भूमि मोहरसिंह पुत्र जीराम जाट ने कुरडाराम के वारिसान पवन कुमार, ताराचंद, शंकरलाल, महेन्द्र, छोटुराम, चांदकौर, पार्वति व शांति पिसरान मदनलाल पुत्र कुरडाराम से दिनांक 28.06.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर ली गई व इसी कदर जगदीश पुत्र हरीसिंह नाई चिड़ियागांधी द्वारा उपरोक्त भूमि में 0.101 हैक्टर भूमि शंकरलाल पुत्र कुरडाराम से दिनांक 20.11.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर ली गई। इस प्रकार चक 8 बाराणी कस्बा भादरा तहसील भादरा के मु0न0 104 के किला न0 6-7 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 0.506 हैक्टर में से .101 हैक्टर अपीलान्ट कृष्ण कुमार द्वारा शांति पुत्री कुरडाराम जाति ब्राहमण रेस्पोजेन्ट सं. 3 से खातेदारी कृषि भूमि के प्रतिफल की राशि अदा करके मौका पर कब्जा प्राप्त करके बैयनामा दिनांक 14.05.2010 व 17.05.2010 को अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया गया व 0.228 हैक्टर का बैयनामा मोहरसिंह द्वारा कुरडाराम के वारिसान मदनलाल के पुत्र पुत्रियां व बेवा से 28.06.2007 को अपने नाम से करवा लिया गया व 0.101 हैक्टर भूमि का बैयनामा जगदीश पुत्र जीराम नाई द्वारा शंकर पुत्र कुरडाराम से दिनांक 20.11.2007 को अपने नाम से खरीद कर तस्दीक करवा लिया गया। जगदीश, मोहरसिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण होकर अमल दरामद हो गया व अपीलान्ट द्वारा शांति रेस्पोजेन्ट सं. 3 से

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(सत्यमेव जयते)  
(हदमानजद)

उसके हिस्से की .101 हैक्टर संयुक्त खाते की कृषि भूमि का नामान्तरकण मोहरसिंह, जगदीश व कृष्णकुमार के दरमियान विवाद होने की स्थिति मे मोहरसिंह, जगदीश द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भादरा अनुवानी मोहरसिंह आदि बनाम कृष्ण कुमार आदि वाद संख्या 16/2010 दायरा दिनांक 25.05.2010 निर्णय दिनांक 22.07.2013 प्रस्तुत होने की वजह से उसमें एक बार न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के कारण व आगे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र के साथ अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर जिला न्यायाधीश भादरा के अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना की क्रियान्विति आईन्दा आदेश तक रोकने का आदेश होते हुए व उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद अपीलान्ट द्वारा अपने नाम खरीदशुदा खातेदारी भूमि की बाबत घोषणात्मक व खाता विभाजन का न्यायालय उप जिला कलक्टर भादरा मे अनुवानी मोहरसिंह बनाम कृष्ण कुमार अन्तर्गत धारा 88,53 आर टी एक्ट के तहत पैडिंग होते हुए व दुसरी तरफ मोहरसिंह व जगदीश द्वारा एक वाद उप जिला कलक्टर भादरा के न्यायालय में मोहरसिंह बनाम कृष्णकुमार आदि जेरकार होते हुए व उनमे किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश अपीलान्ट के खिलाफ नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा स्वीकृत किये जाने का नही होते हुए व बैयनामा कैन्सिल का वाद एंडीजे कोर्ट भादरा द्वारा दिनांक 27.07.2013 को अपीलान्ट के पक्ष मे बैयनामा सही मानकर उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश होते हुए व अन्य मुकदमे बाजी पैडिंग होते हुए व जिनमें राज्य सरकार रेस्पोजेन्ट सं. 1 पक्षकार होते हुए अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट सं. 3 को बिना ही पक्षकार बनाये व बिना किसी प्रकार का नोटिस, सुचना व सुनवाई का अवसर दिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.11.2012 का नोटिस उपखण्ड अधिकारी भादरा, तहसीलदार (राजस्व) भादरा, श्रीमान संपादक राजस्थान पत्रिका भादरा को विवादित भूमि के अलावा खातेदारी कृषि भूमि के धारा 90 ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही हेतु नाटिस दिये जाकर राजस्थान पत्रिका में क्रमांक 3569 दिनांक 19.11.2012 मे विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु निकलवाई गई जिसमें चक 8 बारानी की भूमि मु0न0 104 के किला नं. 18,19,20,23,24,25, 1 ता 5, 8 ता 15, 16-17 का विवरण प्रकाशित किया हुआ है जिसमे मु0न0 104 के किला न0 6 व 7 की भूमि 0.506 हैक्टर का कहीं भी खातेदारी कृषि भूमि से आवासीय या कोमरसियल प्रपच हेतु आबादी भूमि मे कन्वर्ट करवाने का हवाला नही होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जालसाजी करके अपने निर्णय दिनांक 04.04.2013 मे चक 8 बारानी के मु0न0 104 के किला न. 6-7 की 0.506 हैक्टर भूमि को गलत गैरकानूनी व साजिसाना तौर पर भूमि मे अपीलान्ट को बिना ही पक्षकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर

बनाए, बिना ही अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट सं. 3 को सूचना, सुनवाई का अवसर दिये जो एकतरफा आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व गैरकानूनी तौर से पारित किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. आदेश जेर अपील अदालत मातहत खिलाफ कानून न्याय नियम व खिलाफ प्राकृतिक इन्साफ व रूहेदाद मिसल के पारित किए जाने के कारण काबिले इखराजी के है।
2. आदेश जेर अपील अदालत लिगल प्रोपर व करेक्ट नही होने के कारण निरस्तनीय है।
3. आदेश जेर अपील आदलत मातहत विदआउट ज्युडिक्शन के व आरबिट्री तौर पर जारी किये जाने के कारण निरस्तनीय है।
4. आदेश जेर अपील अदालत मातहत सेल्फ स्पीकिंग आदेश नही होने के कारण व सीपीसी के मेनडेन्टरी प्रोविजन के विपरित पारित किये जाने के कारण कानूनन निरस्तनीय है।
5. अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोंडेन्ट सं. 3 द्वारा अपने 1/5 हिस्सा की भूमि का संयुक्त खाता में से अपने हिस्सा का बैयनामा दिनांक 14.05.2010 व दिनांक 17.05.2010 को उप पंजीयक भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त करके व कब्जा भूमि का केता को सौंपकर निष्पादित करवाया गया था जो बैयनामा न्यायालय उपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भादरा द्वारा वाद अनुवानी मोहरसिंह बनाम कृष्णकुमार निर्णय दिनांक 27.07.2013 अपीलान्ट के पक्ष में होते हुए व अपीलान्ट का दुसरा वाद \* उक्त भूमि के सम्बन्ध में कृष्ण कुमार बनाम मोहरसिंह आदि घोषणात्मक व खाता तकसीम का न्यायालय उप जिला कलक्टर भादरा में जेरकार होते हुए व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन आदेश अपीलान्ट के पक्ष में उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का होते हुए जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी पूर्व में जारी सार्वजनिक सूचना की विज्ञप्ति व अखबार में साया दिनांक 19.11.2012 में चक 8 बरानी कस्बा भादरा के मु0न0 104 के किला नं. 6-7 का किसी प्रकार का खातेदारी कृषि भूमि से गैर कृषि में कन्वर्जन किये जाने का अंकन नही होते हुए अपने निर्णय में दोनो किला नं. 6 व 7 की भूमि का अंकन जालसाजी करके जो निर्णय अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाए व अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट सं. 3 को बिना किसी सूचना, सुनवाई व नोटिस दिये जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा तौर से जालसाजी करके पारित किया गया है वो निर्णय एबइनिशियों नल एण्ड वॉयड है व निर्णय किसी प्रकार के निर्णय की श्रेणी में नही आता है और ना ही किसी प्रकार सैल्फ

4  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
नोहर (हनुमानगढ़)

स्पीकिंग आर्डर है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानूनन निरस्तनीय है।

6. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जब रकबा धारा 90 ए की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित सूची में अंकित ही नहीं था तो बिना अंकन के उसे निर्णय में शामिल कर जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने आरबिटरी तौर से व जालसाजी करके पारित किया गया है, वो निर्णय घोर त्रुटिकारक होने के कारण कानूनन निरस्तनीय है।
7. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त पक्षकार नहीं था व आदेश जेर अपील अदालत मातहत से Aggrieved Party है इसलिए अब अदालत वाला की पूर्व परमिशन से अपील प्रस्तुत कर रहा है, सो अपीलान्त को आदेश जेर अपील अदालत मातहत से Aggrieved Party होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।
8. दीगर वजूआत पर भी अपील काबिले मन्जूरी के है जो कि तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जाऐगे।
9. उक्त आदेश के विरुद्ध अन्य कोई अपील आदि माननीय न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत की हुई नहीं है।

(ख) अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है एवं अपील दिनांक 23.08.2013 के इल्म से अन्दर मियाद प्रस्तुत है व साथ में कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ-पत्र अलग से प्रस्तुत है सो अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे व अन्य कोई रिलीफ नियम व कानून से अपीलान्त को मिलता हो, भी दिलाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक बारानी का किला संख्या 6 व 7 (मुरब्बा नम्बर 104) विवादित है। कुरडाराम की खातेदारी थी, 5 वारिस थे तथा कुछ जमीन रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 व 5 में क्रमशः 18 बिस्वा व 8 बिस्वा क्रय की। 8 बिस्वा शांति का हिस्सा जो हमने दिनांक 17.05.2010 को क्रय कर लिया। क्रय करने के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 6,4 व 5 ने दावा किया हमारी रजिस्ट्री खारीज करने का वह दिनांक 27.07.2013 को खारीज हो गया इस आधार पर की कब्जा नहीं है। दावे में सिविल कोर्ट में स्थगन था इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई वहा हमारे पक्ष में स्टे हुआ वह हमने नगर पालिका में पेश कर रखा था। दिनांक 19.11.2012 को इन्होंने विवादित भूमि की विज्ञापित निकाली

उसमें मुरब्बा नम्बर 104 का अंकन तो है किन्तु निर्णय पारित करते समय किला नम्बर 6 व 7 का भी आदेश जारी कर दिया। हमे किला नम्बर 6 व 7 के संबंध में सुना ही नही गया। इस भूमि संबंधि 2 दावे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) में विचाराधीन थे। RRT 2013 (1) पेज नम्बर 1326 आर.आर.डी.1966 पेज 328 पेश किया अपील स्वीकार फरमावे।


अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि इनको जानकारी मे था कि विभिन्न न्यायालयों में दावे चल रहे है तो अंदर भियाद अपील नही है। आदेश दिनांक 04.04.2013 का है और अपील पेश की है दिनांक 30.08.2013 को मियाद 60 दिवस है। पक्षकार 4 व 5 का दावा खारीज तो हुआ किन्तु PI के लिए ही था। नगर पालिका ने सुनवाई कर ही निर्णय पारित किया है। 19.11.2012 को सार्वजनिक सूचना निकाली थी, समाचार पत्र में भी प्रकाशित की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णय किया है इसमें कोई त्रुटि नहीं है जिससे इनकी अपील स्वीकार की जा सके अतः अपील अस्वीकार फरमाई जावे।

पुन अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मे निवेदन किया कि मै म्यूटेशन कराने गया तब मुझे पता चला की यह भूमि नगर पालिका के नाम है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद विज्ञप्ति में नही होने पर भी निर्णय शामिल कर लिया। अतः अपील स्वीकार फरमावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भादरा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2013 की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें मु0 नं0 104 के किला सं0 6 और 7 की भूमि रकबा क्रमशः 0.2530, 02530 का अंकन है अतः इस आदेश के द्वारा मुरबा नं0 104 के किला संख्यां 6 व 7 की भूमि का भी आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु निर्णय लिया गया है जबकि यह निर्णय पारित करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका भादरा द्वारा जो सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.11.2012 को प्रकाशित की गयी थी एवं आपतियां आमत्रित की गयी थी उसमें मुरब्बा नं 104 के किला संख्या 6 व 7 का अंकन नही है अर्थात किला संख्या 6 व 7 के सम्बन्ध में न तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी न ही आपतियां आमत्रित की गयी फिर इन किला संख्या की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी निर्णय कैसे पारित किया गया अतः प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भादरा द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय विधिक त्रुटि की है एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर न देकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है अतः उक्त निर्णय दिनांक 04.04.

2013 विधि सम्मत नही होने से मुरब्बा नं 104 के किला संख्या 6 व 7 से सम्बन्धित निर्णय किला संख्या 6 से 7 की सीमा तक काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया शामिल मिसल रहे।



(नारायण सिंह चारण)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
मेरठ (हनुमानगढ़)  
नोहर

28/2/2020

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official